

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठारसीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/108/2015

वउनवान

1. कंचन पुत्र पन्नी जाति माली निवासी कानेटी तहसील कठूमर  
जिला अलवर

----- वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए जिला कलक्टर बहेसियत प्रति0 राज0 राज्य एवं  
बहेसियत खुद
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार कठूमर बहेसियत लेण्ड होल्डर

----- प्रतिवादीगण

उपरिथत :-

श्री मानसिंह चौधरी एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय

दिनांक 30.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 'आराजी खसरा नम्बर 3270 रकबा 0.72 हे. वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें से रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में हो रहे सिवायचक के इन्द्राज को कलमजन फरमाया जावे। उपरोक्त विवादित आराजी मे से 1 बीघा 6 विस्वा आराजी वादी को भू आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 07.08.75 को अलोटमेन्ट हुई थी। प्रतिवादी वादि विवादित आराजी का वक्त अलोटमेन्ट से ही काबिज कृषक खातेदार है तथा मौके पर विवादित आराजी के रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाके सौंखरी में काबिज है। वादी के नाम का इन्द्राज विवादित आराजी में समस्त खसरा गिरदावरी वाके सौंखरी में कब्जा काश्त अंकित है तथा वक्त

*Handwritten signature*

अलोटमेन्ट से ही वादी विवादीत आराजी की सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है तथा खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक है लेकिन प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजी खातेदार मानने से इन्कार कर रहे है वादि खसरा नम्बर 3270 रकबा 0.72 हे. वाके ग्राम सौखरी में से रकबा 1 बीघा 6 विस्वा का खातेदार कास्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में हो रहे सिवायचक के इन्द्राज को वादी के हिस्से तक कलमजन फरमाया जावे प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादी को आराजी खसरा नम्बर 3270 में से रकबा 1 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम सौखरी में कुल कास्त सम्बन्धी कार्य में व्यवधान पैदा ना करे। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे तथा गलत इन्द्राज की आड में दीगर व्यक्ति/संस्था को अलोट ना करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। परोकार सरकार ने हाजिर होकर अपना जवाब दावा पेश किया। जो संलग्न दावा है।

वादी ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 वाके ग्राम सौखरी सत्य प्रति पेश की है। खसरा परि.सं. 2035 पेश किया, मूल आवंटन आदेश प्रदर्श-2, खसरा मिलान क्षे0 2057 (प्रदर्श-3), खसरा मिलान क्षे0 2058 (प्रदर्श-4), खसरा मिलान क्षे0 2039 (प्रदर्श-5) पेश किया जो शामिल पत्रावली है।


वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 3270 रकबा 0.72 हे. वाके ग्राम सौखरी में से 1 बीघा 6 विस्वा दिनांक 07.08.1975 को आवंटित हुआ था। आवंटन से आज तक वादि काबिज कास्त है। आवंटन के आधार पर पट्टा जारी नहीं हुआ। जवाब में वादी का कब्जा माना है। आवंटन से आज तक लगान जमा कराया है। 2001 में अतिक्रमण की कार्यवाही तहसीलदार ने 29.08.2001 ड्रॉप की है। लगान की रसीद पेश की है। सिवायचक बंजड दर्ज है। बयान गवाहान कराये है। 1975 से लगातार कब्जा कास्त है।

अनंत

मुताबिक जमाबंदी ग्राम सौखरी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 834 पर खसरा नम्बर 3270 रकबा 0.72 हे. एकीकृत स्टेडियम (खेल विभाग) हेतु आरक्षित दर्ज है। विवादित आराजीयात सिवायचक से आवंटन होकर खेल विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है वाद में खातेदार विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः दावा वादी वावत आराजी खसरा नम्बरा 3270 रकबा 0.72 वाके ग्राम सौखरी तहसील कठूमर में से रकबा 1 वीघा 6 विस्वा सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 30.06.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/108/2015

वउनवान

1. कंचन पुत्र पन्नी जाति माली निवासी कानेटी तहसील कठूमर  
जिला अलवर

----- वादी

बनाम


1. राज0 सरकार जरिए जिला कलक्टर बहेसियत प्रति0 राज0 राज्य एवं  
बहेसियत खुद
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार कठूमर बहेसियत लेण्ड होल्डर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुकमइन्तनाई दवामी

दावा वादी वावत आराजी खसरा नम्बरा 3270 रकबा 0.72 वाके ग्राम  
सौखरी तहसील कठूमर में से रकबा 1 वीघा 6 विस्वा सावित ना होने के  
कारण खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 30.06.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर